पोर्टफोलियो निवेश योजना

फॉर्म सं.

पीआईएस खाता खोलने एवं संपर्क संबंधी फॉर्म

O एनआरई – प्रत्यावर्तनीय O एनआरओ – अप्रत्यावर्तनीय

भारतीय रिजर्व बैंक अनिवासी भारतीयों (एआरआई) / भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) को पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में सेकंडरी बाजार में निवेश करने की अनुमति प्रदान करता है। लेन-देन प्रत्यावर्तनीय तथा/या अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के पंजीकृत ब्रोकर के माध्यम से होना चाहिए.

हमारी निर्दिष्ट शाखाओं के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची निम्नलिखित है।

1. पीआईएस के अंतर्गत निवेश के लिए रिजर्व बैंक की ओर से प्राधिकरण पत्र जारी करना.
2. पीआईएस परिचालनों के लिए निधियों का आसान अंतरण
3. पूंजीगत लाभ कर की गणना एवं कटौती तथा आयकर प्राधिकारियों को लागू करों का भुगतान करना.
4. भारतीय रिजर्व बैंक को पीआईएस लेन-देनों की अनिवार्य रिपोर्टिंग का कार्य देखना.
5. डिमट सेवाएं
6. कहीं से भी और कभी भी आपके पीआईएस खाते को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा

पीआईएस खाते के फायदे

- पारदर्शी एवं निष्पक्ष सौदे
- विविधीकृत निवेशों के लिए अच्छा अवसर
- कोई न्यूनतम शेष / औसत तिमाही शेष आवश्यक नहीं.

आपके निवेशों के लिए ....

............भारत से

.............दुनिया भर में सेवाएं

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, रजि॰ कार्यालय: आईडीबीआई टॉवर, डब्लुटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई- 400 005।
टॉल फ्री नं॰: 1800-22-1070 (एमटीएनएल/ बीएसएनएल) और 1800-200-1947 (अन्य)। www.idbi.com

ब्रोकर लेबल कोड सोल आईडी

श्री/सुश्री ग्राहक आईडी 1

श्री/सुश्री ग्राहक आईडी 2

श्री/सुश्री ग्राहक आईडी 3

आवक सं. कर्मचारी/डीएसटी नाम व कोड

ग्राहक संबंध : नया मौजूदा

स्कीम कोड : आरएनईपीएस आरएनओपीएस

फॉर्म भरने के लिए अनुदेश

1. आवेदन फॉर्म सिर्फ अंग्रेजी कैपिटल लेटर में भरे जाएं.
2. पैन कार्ड की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियां सभी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की जाएं. यदि पैन पर फोटो स्पष्ट न हो तो कोई दूसरा स्व-अनुप्रमाणित फोटो पहचान प्रमाण प्रस्तुत किया जाए. आमने – सामने खाता खोलने के मामले में मूल पैन कार्ड सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाए.
3. महिलाओं के मामले में, यदि पैन विवाह-पूर्व नाम में है तो विवाह प्रमाणपत्र या सरकारी राजपत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए.
4. यदि ग्राहक खाता खोलने का फॉर्म डाक / कुरियर से भेज रहा है तो सभी दस्तावेज और हस्ताक्षर भारतीय दूतावास या नोटरी या विदेश स्थित बैंकर द्वारा अनुप्रमाणित होने चाहिएं.
5. पीआईएस खाते, डिमैट खाते एवं ट्रेडिंग खाते में पहला आवेदक एक ही होना चाहिए. पीआईएस की अनुमति पीआईएस खाते में सिर्फ पहले आवेदक को दी जाएगी.
6. सुधार, यदि कोई हैं, सभी आवेदकों द्वारा विधिवत् अभिप्रमाणित होने चाहिएं.
7. फॉर्म पर उल्लिखित पता दिये गये पते के प्रमाण स्वरूप दस्तावेज से बिल्कुल मिलना चाहिए.
8. यूएसए एवं कनाडा आधारित अनिवासी भारतीयों को ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा नहीं है

इस पीआईएस आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज़

(आपको जो लागू हों उन पर ( ) का निशान लगाएं)

भाग –क	हाँ	नहीं	लागू नहीं
1. साधारण खाता खोलने के लिए जांच-सूची 2. पीआईएस संबंध फॉर्म (एनआरई/एनआरओ) 3. घोषणा 4. प्राधिकार-पत्र 5. आरपीआई/एनआरआई फॉर्म (पीआईएस आवेदन फॉर्म – प्रत्यावर्तन के साथ /प्रत्यावर्तन के बिना आरपीआइ () एनआरआई 6. प्रभारों की अनुसूची 7. नामांकन फॉर्म 8. ग्राहक रूपरेखा फॉर्म			
भाग – ख	हाँ	नहीं	लागू नहीं
9. ग्राहक खाता विवरण 10. प्राथमिक बाजार से प्रत्यावर्तन / गन्न-प्रत्यावर्तन आधार पर अर्जित शेयरों (एनआरई / एनआरओ शेयर) के विवरण का फॉर्मेट क) एनआरई (अनुबंध I) i) डिमट्ट विवरण ii) आबंटन पत्र ख) एनआरओ (अनुबंध II) i) डिमट्ट विवरण ii) आबंटन पत्र 11. निवासी भारतीय के रूप में अर्जित शेयरों के विवरण का फॉर्मेट (अनुबंध III के अनुसार) i) डिमट्ट विवरण ii) आबंटन पत्र/ शेयर क्रय संविदा नोट 12. दूसरे बैंक से पीआईएस खाते के अंतरण के मामले में क) दूसरे बैंक से पीआईएस खाते का अंतरण i) एनआरई (अनुबंध IV) ii)एनआरओ (अनुबंध V) ख) पूर्व बैंक का पीआईएस बंदी धारिता विवरण ग) आईडीबीआई बैंक को पीआईएस खाते के अंतरण के लिए एनओसी घ) डिमट्ट विवरण			
भाग ग (स्व-अनुप्रमाणित)	हाँ	नहीं	लागू नहीं
13. पासपोर्ट 14. विज़ा/कार्य/निवास परमिट (कृपया निर्दिष्ट करें) 15. समुद्रपारीय / देशी आवास प्रमाण 16. पन्न कार्ड 17. हरेक आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो			
मूल शाखा द्वारा भरा जाए			

मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि मैंने सत्यापन किया है और उपर्युक्त विवरण सत्य एवं सही हैं.

हस्ताक्षरकर्ता – शाखा प्रमुख/एसओएम

नाम

ईआईएन

(भाग क)

पीआईएस संबंध फॉर्म

एनआरई एनआरओ दिनांक : दिनांक माह वर्ष

कृपया ------------- में मेरा /हमारा पीआईएस खातो खोलें.

व्यक्तिगत विवरण

	शीर्षक	प्रथम नाम	मध्य नाम	उपनाम	व्यवसाय
पहला आवेदक	(श्री/सुश्री)				
दूसरा आवेदक	(श्री/सुश्री)				
तीसरा आवेदक	(श्री/सुश्री)				
	जन्म-तिथि ता/माह/वर्ष	लिंग पु/स्त्री	माँ का विवाह-पूर्व नाम	वद्याहिक स्थिति	पहले आवेदक के साथ संबंध
पहला आवेदक					
दूसरा आवेदक					
तीसरा आवेदक					

समुद्रपारीय पता

पता:

जिप कोड देश फाक्स नं.

मोबाइल नं. लैंडलाइन नं.

ईमेल पला

भारतीय पता

बिल्डिंग/फ्लट नं. व नाम

रोड नं. व नाम इलाका

शहर राज्य

लैंडलाइन नं. पिन कोड

मोबाइल नं. फाक्स नं.

यदि दूसरे तथा तीसरे आवेदक का पता पहले आवेदक से भिन्न हो तो अलग से पन्ना जोड़ें और उपर्युक्त फॉर्मेट के अनुसार पता दें.

डाक पता : समुद्रपारीय () भारतीय (जो लागू हो कृपया उसे टिक करें). कृपया नोट करें कि बैंक से समस्त पत्राचार डाक पते पर भेजा जाएगा.

पासपोर्ट का ब्यौरा

	पासपोर्ट नं.	जारी करने की तारीख	समाप्ति तारीख	जारी करने का स्थान	राष्ट्रीयता
पहला आवेदक					
दूसरा आवेदक					
तीसरा आवेदक					

() बैंकर () भारतीय दूतावास/उच्चायोग () नोटरी पब्लिक () अन्य द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित पासपोर्ट एवं आवास विजा / कार्य परमिट

विज़ा का ब्यौरा

	विज़ा नं.	जारी करने की तारीख	समाप्ति तारीख	जारी करने का स्थान
पहला आवेदक				
दूसरा आवेदक				
तीसरा आवेदक				

खाते का परिचालन

() एकल ()कोई एक या उत्तरजीवी () पहला या उत्तरजीवी () सभी द्वारा संयुक्त रूप से () अन्य

अनुदेश

विवरण बारम्बारता

() तिमाही () डाक द्वारा (प्रभार लागू)

() मासिक () ई-मेल

नामांकन () हाँ () नहीं

(* कृपया संलग्न नामांकन फॉर्म पूरा करें)

इंटरनेट बैंकिंग सुविधा () हाँ () नहीं

(* कृपया चलाल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, यदि पहले विकल्प न दिया हो)

पहले आवेदक का फोटो	दूसरे आवेदक का फोटो	तीसरे आवेदक का फोटो
(हस्ताक्षर I)	(हस्ताक्षर II)	(हस्ताक्षर III)
एक्स2	वाई2	जेड2
नाम:	नाम:	नाम:

(आवेदक को फोटो के ऊपर भी हस्ताक्षर करने चाहिए)

मूल शाखा द्वारा भरा जाए

मैंने पासपोर्ट / विज़ा / कार्य परमिट के आधार पर आवेदक के विवरणों का सत्यापन किया है और आवेदक की अनिवासी भारतीय (एनआरआई) / भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ)/ भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) स्थिति से संतुष्ट हूं. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि आवश्यक केवाईसी दस्तावेज़ मेरे द्वारा प्राप्त किये गये हैं. मैं पुष्टि करता हूं कि दस्तावेज़ बैंक की केवाईसी अपेक्षाओं का पालन करने के लिए पर्याप्त हैं. मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि मैंने आतंकवादी समूहों की यूएन सूची तथा भारत सरकार तथा बैंक के दिशानिर्देशों का सत्यापन किया है और पुष्टि करते हैं कि आवेदक का नाम सतर्कता सूचना / काली सूची में नहीं हैं.

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि (जो लागू हो, कृपया उसे '-' करें).

() मैंने ग्राहक से मुलाकात की है और उससे बात की है मैंने केवाईसी दस्तावेज़ों की प्रतियों का मूल दस्तावेज़ से सत्यापन किया है

() हमें डाक/कुरियर द्वारा केवाईसी दस्तावज़ों के साथ खाता खोलने का फॉर्म मिला है खाता खोलने का फॉर्म तथा केवाईसी दस्तावेज़ --------------- द्वारा अनुप्रमाणित हैं.

उपर्युक्त के आधार पर एनआरआई पीआईएस खाता खोला जाए.

एसओएम/शाखा प्रमुख का नाम हस्ताक्षर/ईआईएन कोड दिनांक

घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में सत्यनिष्ठापूर्वक घोषित करता हूं/करते हैं तथा वचन देता हूं/देते हैं:

1. मैं/हम अनिवासी भारतीय / भारतीय मूल के व्यक्ति हूं/हैं और ऐसे किसी अधिकारिता-क्षेत्र का निवासी नहीं हूं/हैं जहां खाता खोलना या उसका अनुरक्षण ऐसे अधिकारिता क्षेत्र की विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं तथा/या भारत में लागू कानूनों द्वारा निषिद्ध है

2. मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित एनआरई/एनआरओ खाता योजना तथा पोर्टफोलियो निवेश योजना के प्रावधानों तथा समय-समय पर यथा संशोधित सम्बद्ध अधिनियम तथा विनियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं. मैं/हम यह भी सहमत हूँ/हैं कि यदि इसमें किया गया कोई भी कथन/घोषणा गलत पायी जाती है तो बैंक मेरे/हमारे द्वारा की गई जमाराशियों पर कोई ब्याज अदा करने के लिए आबद्ध नहीं है और उक्त खातों में पहले जमा किये गये ब्याज को वसूल भी सकता है

3. मैं/हम एतद्द्वारा कथन करता हूं/करते हैं कि मैं/हम किसी अन्य बैंक के पास कोई अन्य पीआईएस खाता (एनआरई/एनआरओ) नहीं खोलूंगा / खोलेंगे. मैं/हम यह समझता हूं/समझते हैं कि पीआईएस खाते किसी एक निर्दिष्ट समय में भारत में किसी एक नामित बैंक शाखा के पास अनुमत हैं.

4. मैं/हम यह समझता हूं/समझते हैं कि मुझे/हमें क्रमश: प्रत्यावर्तनीय तथा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर सेकंडरी बाजार में निवेश के प्रयोजनार्थ अलग-अलग बचत पीआईएस खाता (एनआरई / एनआरओ) अनुरक्षित करना है इन खातों के माध्यम से किसी भी स्वरूप का कोई अन्य लेन-देन नहीं किया जाएगा.

5. मैं/हम यह समझता हूं/समझते हैं कि पीआईएस बचत बैंक खाते के लिए कोई चेकबुक तथा एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा और मेरे/हमारे द्वारा किसी अन्य पार्टी का कोई लेन-देन नहीं किया जाएगा.

6. मैं/हम मेरे/हमारे द्वारा देय सभी प्रकार के बैंक प्रभार / कमीशन / शुल्क को मेरे/हमारे पीआईएस बचत बैंक खाते (एनआरई / एनआरओ) / साधारण बचत बैंक खाते (एनआरई / एनआरओ) में नामे करने के लिए बैंक को प्राधिकृत करता हूं/ करते हैं जो संबंधित पीआईएस खाते (एनआरई/एनआरओ) से जोड़े गये हैं. मैं/हम यह समझता हूं/समझते हैं कि संबंधित बचत बैंक खातों में मेरे / हमारे द्वारा पर्याप्त जमाशेष बनाये रखा जाएगा ताकि ब्याज तथा अन्य सेवा प्रभारों को नामे डालने में सुगमता हो.

7. मैं/हम यह समझता हूं/समझते हैं कि सामान्य बचत बैंक एनआरई खाते से पीआईएस बचत एनआरआई खाते में तथा विलोमतः निधियों के अंतरण की अनुमति है। इसी प्रकार, सामान्य बचत बैंक एनआरओ खाते से पीआईएस बचत एनआरओ खाते में तथा विलोमतः निधियों के अंतरण की अनुमति है।और सिर्फ सामान्य बचत बैंक एनआरई खाते से सामान्य बचत बैंक एनआरओ खाते में निधियों के अंतरण की अनुमति है।

8. मैं/हम बैंक द्वारा अपेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्रदान करने का वचन देता हूं/देते हैं. मैं/हम यह समझता हूं/समझते हैं कि पीआईएस खाते का उपयोग पीआईएस से संबंधित वास्तविक लेन-देनों के लिए ही किया जाएगा जिनमें सरकारी / विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के किसी प्रावधानों का उल्लंघन शामिल नहीं है।और मैं/हम संबंधित किसी भी विनियामक प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई किसी भी कार्रवाई के लिए अकेले जिम्मेदार हूंगा/होंगे.

9. मैं/हम यह भी कथन करता हूं/करते हैं कि मैं/हम सेबी / रिजर्व बैंक के निविनियमों तथा फेमा विनियमों या अन्य संबंधित निदेशों/दिशानिर्देशों, जो मेरे/हमारे पीआईएस खातों के संबंध में लागू हों, के किसी अपालन के लिए अकेले जिम्मेदार हूंगा/होंगे.

10. मैं/हम ऐसी किसी हानि/दावे को वहन करने के लिए सहमत हूं/हैं तथा पुष्टि करता हूं/हैं जो मेरे/हमारे द्वारा या मेरी/हमारी ओर से बैंक को फैक्स या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिये गये अनुदेशों पर बैंक के कार्य करते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न हो और बैंक को ऐसी हानियों तथा/या दावों से क्षतिपूरित रखने के लिए सहमत हूं/हैं.

11. आईडीबीआई बैंक के पास पीआईएस खाता खोलते समय मैं/हम सुनिश्चित करूंगा/करेंगे कि मेरे/हमारे सभी शेयर डिमैट रूप में रखे जाएंगे और कोई भी शेयर भौतिक रूप में नहीं रखा जाएगा. मैं/हम यह भी सुनिश्चित करूंगा/करेंगे कि मेरे/हमारे अन्य डिमैट खातों (पीआईएस /गैर-पीआईएस) के भीतर पीआईएस योजना के अंतर्गत मेरे/हमारे द्वारा अंतर-डिमैट अंतरण नहीं किया जाएगा अथवा डिलीवरी अनुदेश पर्ची (डीआईएस) के जरिए या अन्य रूप में किसी अन्य पार्टी को अंतर-डिमैट अंतरण नहीं किया जाएगा.

12. मैं/हम सहमत हूं/हैं कि यदि पीआईएस खाता किसी अन्य बैंक से आईडीबीआई बैंक को अंतरित किया जाता है।तो मैं/हम प्रतिभूतियों के डिमैट विवरण की अद्यतन प्रति के साथ बैंक द्वारा यथानिर्धारित सम्बद्ध अनुबंध के साथ अपने वर्तमान बैंकर से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करूंगा/करेंगे.

13. मेरे/हमारे खाते खोले जाएंगे और मैं/हम पूर्व बैंक द्वारा मौजूदा पीआईएस खाते को बंद करने और आईडीबीआई बैंक से सूचना प्राप्त होने के बाद ही मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से क्रय-विक्रय शुरू करूंगा/करेंगे.

14. मैं/हम इरादतन या अन्यथा निम्नलिखित लेन-देन नहीं करूंगा/करेंगे :

क) गैर-डिलीवरी आधारित सौदे

ख) दिन के दौरान क्रय एवं विक्रय अथवा विलोमतः

ग) सट्टेबाजी सौदे

घ) उसी दिन लेन-देन समान करना

ङ) नीलामी सौदे (क्रय/विक्रय नीलामी)

च) ऑफ-मार्केट अंतरण

15. मैं/हम प्रतिबंधित / सतर्कता-सूची में शामिल स्क्रिपों, जिन्हें आईबीआई द्वारा निषिद्ध किया गया है, की खरीद नहीं करूंगा/करेंगे. चूक होने की स्थिति में, मैं/हम उन्हें तुरंत बेच दूंगा/देंगे और ऐसे लेन-देन के बाबत हानियां तथा प्रभार, यदि कोई हैं, मेरे/हमारे द्वारा वहन किये जाएंगे और मैं/हम विधिक परिणामों, यदि कोई हैं, के लिए जिम्मेदार होंगे. इसके अलावा, पूंजी अभिलाभ की गणना की 'पहले आओ, पहले जाओ (फीफो)' पद्धति लागू की जाएगी और तदनुसार स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी.

16. निर्धारित समय के भीतर मेरे / हमारे / ब्रोकर की ओर से किसी विलम्ब, चूक, अपालन या ब्यौरों के अप्रावधान के मामले में, मैं/हम निम्नलिखित परिणामों के लिए अकेले उत्तरदायी हूंगा/होंगे:

क. ऐसे लेन-देनों या अनुवर्ती लेन-देनों के लिए पूंजीगत अभिलाभ की गणना (धारिता की अवधि) की फीफो पद्धति प्रभावित होती है।

ख. सकल बिक्री आय पर अधिकतम सीमांत दर से कर काटा जाए.

ग. मेरे संबंधित खातों में विलम्ब से कोई जमा. इसके अलावा, बिक्री आय मेरे अप्रत्यावर्तनीय खाते में जमा की जाए या मेरे/हमारे द्वारा बैंक को अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने तक बैंक द्वारा रोक रखी जाएगी.

घ. बैंक द्वारा प्रभारित अतिरिक्त शुल्क / प्रभार – बैंक को इसके लिए जिम्मेदार ठहराये बिना.

ङ. रिजर्व बैंक को गलत रिपोर्टिंग तथा अन्य विधिक संस्थाओं जैसे कंपनी विधि, फेमा, आयकर आदि के संबंध में अपालन.

च. कोई अन्य विधिक परिणाम, चाहे वह कर, ब्याज, जुर्माने, अभियोजन से संबंधित हो या अन्य रूप में हो.

17. यदि मैं/हम सतर्कता-सूची में शामिल स्क्रिपों या संगत संविधि के अनुसार उपहार शेयरों को अर्जित करना चाहता हूं/ चाहते हैं तो मैं/हम उसके लिए रिजर्व बैंक से विशिष्ट अनुमति प्राप्त करूंगा/करेंगे.

18. मैं/हम समझता हूं/हैं कि प्रत्यार्वतन या अप्रत्यावर्तन लाभ के साथ हरेक कंपनी में ईक्विटी शेयरों / परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद 10% (या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित सीमा) की समग्र सीमा के अधीन कंपनी की चुकता पूंजी के 5% (या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित सीमा) से अधिक नहीं होगी. ऐसे अनुपालन में विफलता के सभी परिणाम, लेन-देनों के उलटाव से उत्पन्न होने वाली हानियों सहित, हमारे खाते में होंगे.

19. मैं/हम यह सुनिश्चित करूंगा/करेंगे कि ब्रोकर के पास प्रतिभूतियों की खरीद के लिए अनुरोध करते समय प्रतिभूतियों संपूर्ण क्रय राशि को पूरा करने के लिए मेरे/हमारे पीआईएस बचत बैंक खाते (एनआरई/एनआरओ) में पर्याप्त शेष रखा जाएगा.

20. मैं/हम बैंक को सेबी के पास पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर से प्राप्त क्रय लेन-देन के लिए संविदा नोट के समतुल्य मूल्य के लिए मेरे /हमारे पीआईएस बचत बैंक खाते (एनआरई/एनआरओ) को नामे डालने के लिए प्राधिकृत करता हूं/हैं.

21. मैं/हम यह सुनिश्चित करूंगा/करेंगे कि ब्रोकर के पास कोई बिक्री आदेश देने के पहले मेरे/हमारे डिपॉजिटरी खाते (डीमैट खाते) में डिलीवरी के लिए निर्बंध शेयर हों.

22. मैं/हम यह भी अभिकथन करता हूं/करते हैं कि मैं/हम मेरे/हमारे और मेरे/हमारे ब्रोकर के बीच किसी विवाद में बैंक को शामिल नहीं करूंगा/करेंगे या बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा / ठहरायेंगे.

23. मैं/हम भारतीय रिजर्व बैंक को एनआरई / एनआरओ पीआईएस के अंतर्गत उचित रिपोर्टिंग तथा आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार पूंजी अभिलाभ की गणना के कार्य को सुगम बनाने के लिए कॉरपोरेट कार्रवाई के कारण या अन्यथा (आईपीओ/ एफपीओ, राइट्स, वापस खरीद, ईसॉप, विरासत, उपहार आदि) प्रतिभूति धारिताओं की स्थिति में किसी परिवर्तन के बारे में बैंक को रिपोर्ट करूंगा/करेंगे.

24. मैं/हम मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सेबी के पास पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से किये गये सभी सेकंडरी मार्केट लेन-देनों को रिपोर्ट करूंगा/करेंगे और बैंक को ऐसे स्टॉक ब्रोकर से लेन-देन का मूल कांट्रैक्ट नोट उसी दिन प्रस्तुत करूंगा/करेंगे.

25. मैं/हम एतद्द्वारा अभिकथन करता हूं/हैं कि मैं/हम शेयरों की बिक्री से पूर्व उनकी खरीद (राइट्स / आईपीओ / सेकंडरी बाजार आदि) की रिपोर्टिंग न करने के कारण किसी हानि के लिए बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा / ठहराएंगे. मैं/हम सहमत हूं/हैं कि मेरे /हमारे द्वारा विलम्ब से रिपोर्ट करने के मामले में, रिपोर्ट करने की तारीख / डिमैटरियलाइजेशन की तारीख (जो भी बाद में हो) पूंजीगत अभिलाभ कर की गणना के लिए अर्जन की तारीख मानी जाएगी.

26. मैं/हम समझता हूं/हैं कि दिन के लेन-देनों के लिए किसी निवल जमा/नामे की अनुमति नहीं होगी अर्थात् सकल निपटान किया जाएगा. पीआईएस खाते में सभी वैयक्तिक लेन-देनों को उनके पूरे मूल्य पर दर्शाया जाएगा.

27. मैं/हम बैंक को प्रथम आया प्रथम गया (फीफ़ो) आधार पर समय समय पर सरकार द्वारा सूचित दरों के अनुसार कर की गणना तथा जहां लागू हो वहाँ स्रोत पर कर कटौती करने के लिए प्राधिकृत करता हूं/करते हैं। स्रोत पर कर की कटौती करने के उद्देश्य से, एक लेन-देन द्वारा उस दिन या किसी अन्य दिन होने वाली हानि को पीआईएस में उस दिन या किसी अन्य दिन होने वाले अन्य लेन-देन के लाभ (यदि होता है) के विरुद्ध समंजन नहीं किया जाएगा।

28. मैं/ हम जानता हूं/जानते हैं कि आईडीबीआई बैंक कर की गणना या अन्य संबन्धित कार्यों (अर्थात पूंजीगत अभिलाभ कर की गणना, सीए प्रमाण पत्र जारी करना, आरबीआई को रिपोर्ट करने के लिए आंकड़े का संकलन) संबंधी कार्य की पीआईएस सेवा में विशेषज्ञता रखने वाली किसी सनदी लेखाकार फर्म से आउटसोर्सिंग कर सकता है। इस फर्म को मेरे/हमारे खाते / लेन-देन विवरणों तक पहुंच रहेगी. उक्त एजेंसी द्वारा मेरे/हमारे खाते के विवरण जानने / उसे संदर्भित करने पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी और इस संबंध में आईडीबीआई बैंक / सीए फर्म को किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहरायेंगे.

29. मैं/हम शेयरों (प्रतिबंधित / सतर्कता सूची में शामिल) की खरीद के बारे में रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा प्रतिबंधों का पालन करूंगा/करेंगे और मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों (http//www.rbi.org.in साइट या भविष्य में अधिसूचित की जाने वाली कोई अन्य वेबसाइट देखें) में क्रय-विक्रय करने से पहले आरबीआई की वेबसाइट देखूंगा / देखेंगे.

30. मैं/हम यह जानता हूं/ जानते हैं कि यदि मैं / हम मेरे / हमारे एनआरई पीआईएस खाते में मेरे/हमारे द्वारा धारित स्क्रिपों का प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो मुझे/हमें ऐसी निधियों को भारत से बाहर प्रत्यावर्तित करने या किसी अन्य एनआरई खाते में अंतरित करने की अनुमति नहीं होगी.

31. मेरे किसी भी खाते में कोई परिवर्तन जैसे आवासीय स्थिति, नाम / पता / ईमेल पता, टेलीफोन नंबर, संपर्क व्यक्ति आदि में परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना बैंक को तुरंत दी जाएगी.

32. मैं/हम जानता हूं / जानते हैं कि बैंक मुझे / हमें सूचित किये बिना किसी सेवा को स्वविवेकानुसार पूर्णतः या अंशतः बंद कर सकता है।

33. मैं / हम विशिष्ट रूप से सहमत हूं/हैं तथा पुष्टि करता हूं / करते हैं कि इसके अंतर्गत उत्पन्न होने वाला कोई भी मामला या मुद्दा भारतीय विधि द्वारा नियंत्रित होगा और भारतीय विधि के अनुसार उसका निर्वचन होगा तथा भारतीय गणराज्य के भीतर न्यायालयों के अधिकारिता क्षेत्र के अधीन होगा.

34. मैं /हम पीआईएस के अंतर्गत बैंक को उपगत होने वाली किसी प्रत्यक्ष हानि, लागत या दावे के विरुद्ध क्षतिपूरित करूंगा/करेंगे तथा बैंक को उनसे नुकसानरहित रखूंगा/रखेंगे.

35. मैं/हम बैंक को किसी या सभी दावों से नुकसान रहित रखने के लिए विशेष रूप से सहमत हूं/हैं तथा यह भी सहमत हूं/हैं कि बैंक उपकरणों की खराबी, संचार लाइन की खराबी, सिस्टम में खराबी, इंटरनेट, अनधिकृत एक्सेस या किसी अन्य समस्या, प्रौद्योगिकीय या अन्यथा, जो ग्राहक को ऑर्डर दर्ज करने से या बैंक को ऑर्डर निष्पादित करने से रोकता हो, या बैंक के नियंत्रण से परे अन्य शर्तों के कारण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हुई किसी हानि, वास्तविक या आनुमानिक, के लिए दायी नहीं होगा.

36. मैं / हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस फॉर्म में प्रस्तुत जानकारी मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

37. मैं/हम मेरे/हमारे फ़ैक्स/स्कैन किये गये अनुदेशों / मेरे/हमारे पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से प्राप्त अनुदेशों पर कार्रवाई करने के लिए आपको अपरिवर्तनीय रूप से तथा बिना शर्त प्राधिकृत करूंगा/करेंगे, जिसे आप स्वविवेकानुसार मुझसे / हमसे उत्पन्न मानते हैं या एक ही ग्राहक आईडी के अंतर्गत अनुरक्षित खातों अर्थात् पीआईएस खाता सं. ------------------- एनआरओ -------------------------------------- पीआईएस सम्बद्ध बचत बैंक खाता सं. एनआरई ----------------------------- एनआरओ --------------------------------- के लिए अधिदेश के निबंधनों का अनुपालन करने से उत्पन्न मानते हैं और आप फ़ैक्स/स्कैन किये गये अनुदेशों / मेरे/हमारे पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से प्राप्त अनुदेशों, जो अनधिकृत व्यक्तियों से या किसी अन्य परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं, पर सद्विश्वास में किये गये किसी कार्य के लिए दायी नहीं होंगे.

38. मैं/हम फ़ैक्स/स्कैन के जरिए अनुदेश देने / मेरे/हमारे पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त अनुदेशों के संबंध में निहित जोखिमों से अवगत हूं/हैं.

39. मैं/हम सभी कार्रवाइयों, कार्यवाहियों, दावों, हानि, नुकसान, लागत तथा व्यय, जो आपके विरुद्ध लाये जाएं अथवा आपके द्वारा उपगत हों, और जो मेरे/हमारे द्वारा स्कैन/ फ़ैक्स किये गये अनुदेशों को आपके द्वारा स्वीकार करने या मेरे / हमारे पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से प्राप्त अनुदेशों को आपके द्वारा स्वीकार करने से प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उत्पन्न हुए हों या उनके संबंध में हों, चाहे मेरे / हमारे द्वारा उनकी लिखित रूप में पुष्टि की गई हो या न की गई हो, के विरुद्ध आपको सदैव क्षतिपूरित रखने तथा आपको नुकसान रहित रखने के लिए वचन देता हूं / देते हैं.

40. मैं/हम पुष्टि करता हूं / करते हैं कि मैंने / हमने इस फॉर्म में उल्लिखित पीआईएस खाते से संबंधित उपर्युक्त घोषणा को पढ़ व समझ लिया है और उनका पालन करने की सहमति के प्रतीक स्वरूप हस्ताक्षर किये हैं.

पहले आवेदक के हस्ताक्षर	दूसरे आवेदक के हस्ताक्षर	तीसरे आवेदक के हस्ताक्षर
नाम____________________	नाम____________________	नाम____________________

मूल शाखा द्वारा भरा जाए

शाखा प्रमुख/एसओएम के द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित:____

नाम:____

ईआईएन:____

प्राधिकार पत्र

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
____
____
____

प्रिय महोदय,

पीआईएस खाते का परिचालन

आईडीबीआई बैंक शाखा में मेरा, _________________________हमारा_____________________ ______________एनआरईपीआईएस/एनआरओपीआईएस खाता संख्या _____________________ है तथा मेरे/हमारे लेन-देनों, शेयरों, प्रतिभूतियों, स्टॉक, बॉन्डों, डिबेंचरों, म्यूचुअल फ़ंड यूनिटों, किसी सामूहिक निवेश योजना की यूनिटों या किसी अन्य प्रतिभूति या वित्तीय लिखत की खरीद या मोचन या बिक्री से संबन्धित लेन-देनों सहित, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं, के उचित निष्पादन को सुगम बनाने के लिए, मैं/हम आईडीबीआई बैंक को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/ हमारी ओर से निम्नलिखित कार्य, कृत्य तथा चीजें करने के लिए एतद द्वारा प्राधिकृत करता/ते हूँ/हैं।

(i) मेरे/हमारे तथा __________________________(सेबी पंजीयन संख्या________________)
इसके पश्चात ब्रोकर के रूप में निर्दिष्ट तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय ______________ __________________में स्थित है के बीच लेन-देनों के लिए मास्टर क्लाइंट करार के निबंधनों के अनुसार सभी मार्जिन/निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए तथा मेरी/हमारी ओर से किए लेन-देनों के लिए सभी निधि दायित्वों को पूरा करने के लिए तथा पीआईएस खाते से संबन्धित अन्य अनुदेश देने के लिए खाता परिचालित करना, रोक लगाना और/या पीआईएस खाते को नामे करना।

(ii) पीआईएस खाते में मुझे/हमें देय राशि जमा करना।

(iii) ब्रोकर या आईडीबीआई बैंक को देय रकम/शुल्क/प्रभार आदि के भुगतान के लिए आईडीबीआई बैंक में अनुरक्षित मेरे/हमारे खाते को नामे करना/नामे करने का अनुदेश जारी करना तथा मेरी/हमारी ओर से आईडीबीआई बैंक/ब्रोकर से ली गई किसी भी सुविधा/सेवा के उपयोग/अभिदान के लिए ऐसी सारी निधि दायित्वों को पूरा करना।

(iv) इस उद्देश्य के लिए यदि आवश्यक हो तो, मेरे/हमारे द्वारा ब्रोकर के माध्यम से किए गए या किए जाने वाले सौदों/लेन-देनों के लिए देय मार्जिन या अन्य राशिओं के प्रयोजनार्थ, ग्रहणाधिकार(लीन) और/या प्रभारों या निधियों के सृजन के लिए आवेदन करना, अनुदेश जारी करना।

(v) मेरे/हमारे आयकर, सुपर टैक्स, उपहार कर, व्यय कर, पूंजीगत अभिलाभ कर निर्धारण और आय, राजस्व या पूंजी पर कोई अन्य कर निर्धारण को देखना, मेरी/हमारी ओर से ऐसे किसी भी कर/करों की वापसी के लिए आवेदन करना, मेरी/हमारी ओर से तथा मेरी/हमारी लागत पर लेखा परीक्षकों, वकीलों, कर सलाहकारों जहां आवश्यक हो या समयोचित हो सारे रिटर्न और कागजात फ़ाइल करना, किसी भी प्राधिकारी या संबन्धित न्यायाधिकरण के समक्ष मेरा हमारा प्रतिनिधित्व करना तथा ऐसे सभी उद्देश्यों के लिए एसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना, निष्पादित करना तथा उनकी सुपुर्दगी करना तथा ऐसी सभी घोषणाएँ करना जो पूर्वोक्त के लिए आवश्यक हों तथा उपरोक्त प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में किसी भी दस्तावेज़ या आदेशों की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करना।

(vi) ब्रोकर को मेरे/हमारे पीआईएस खाते में "व्यू ओन्ली एक्सेस" की अनुमति देना या प्राधिकृत करना

(vii) ऐसे सभी कार्य, कृत्य तथा चीजें करना जो पीआईएस खाते के परिचालन या अनुरक्षण के लिए आवश्यक या आकस्मिक हों तथा/या ऊपर वर्णित मास्टर क्लाइंट से उत्पन्न होने वाले लेन-देनों का निपटान करना।

मैं/हम पुष्टि करता हूँ/हैं कि यह प्राधिकार पत्र मेरे/हमारे लिए आबद्धकर होगा तथा तब तक अपरिवर्तनीय रहेगा जब तक कि इस प्राधिकार पत्र को आईडीबीआई बैंक को 30 दिन पहले पूर्वलिखित सूचना के प्रतिसंहरित न कर दिया जाए।

भवदीय

पहले आवेदक के हस्ताक्षर	दूसरे आवेदक के हस्ताक्षर	तीसरे आवेदक के हस्ताक्षर

मूल शाखा द्वारा भरा जाए

शाखा प्रमुख/एसओएम के द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित:____________________________________

नाम:____________________________

ईआईएन:____________________________________

एनआरआई प्रत्यावर्तनीय

आरपीआई

विनियम 5 (3) (i)

निवेशित पूंजी तथा उस पर अर्जित आय के प्रत्यावर्तन के लाभ के साथ भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत अनुमति हेतु भारतीय राष्ट्रीयता या मूल के अनिवासी भारतीयों से आवेदन।

अनुदेश:

1। आवेदन दो प्रतियों में भरा जाए तथा बैंक की किसी निर्दिष्ट शाखा जो भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए प्राधिकृत हो, के माध्यम से मुख्य महा प्रबन्धक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग (विदेशी निवेश प्रभाग- एनआरआई कक्ष)। भारतीय रिजर्व बैंक , केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400001 को प्रस्तुत किया जाए। पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत, सिर्फ कुछ शाखाओं को निवेश संबंधी कार्य करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। एसे निवेशों को सुगम बनाने के लिए, यह उचित होगा कि आवेदक का खाता बैंक की उसी शाखा में हो जिसके माध्यम से यह आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

2. डिबेंचरों की खरीद हेतु अनुमति के लिए भी इस फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है।

3। प्रत्यावर्तन लाभ के बिना शेयर/ डिबेंचर खरीदने के इच्छुक आवेदकों को उसी निर्दिष्ट शाखा के माध्यम से आरबीआई के उपरोक्त कार्यालय को एनआरआई फॉर्म में एक अलग आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

4. शेयरों एवं प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति (पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक न हो) को भारतीय मूल का माना जाएगा, यदि (i) उसके पास किसी समय भारतीय पासपोर्ट रहा हो या (ii) वह या उसके माता पिता में से कोई एक अथवा उसके दादा-दादी में से कोई भी भारतीय संविधान या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के अन्तर्गत भारत के नागरिक रहे हों। किसी भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति की पत्नी/पति (पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक न हो) को भी भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाता है।

एनआरआई अप्रत्यावर्तनीय

एनआरआई

विनियम 5 (3) (i)

निवेशित पूंजी तथा उस पर अर्जित आय के प्रत्यावर्तन के लाभ के बिना भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत अनुमति हेतु भारतीय राष्ट्रीयता या मूल के अनिवासी भारतीयों से आवेदन।

अनुदेश:

1। आवेदन दो प्रतियों में भरा जाए तथा बैंक की किसी निर्दिष्ट शाखा जो भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए प्राधिकृत हो, के माध्यम से मुख्य महा प्रबन्धक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग (विदेशी निवेश प्रभाग- एनआरआई कक्ष)। भारतीय रिजर्व बैंक , केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400001 को प्रस्तुत किया जाए। पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत, सिर्फ कुछ शाखाओं को निवेश संबंधी कार्य करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। एसे निवेशों को सुगम बनाने के लिए, यह उचित होगा कि आवेदक का खाता बैंक की उसी शाखा में हो जिसके माध्यम से यह आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

2. डिबेंचरों की खरीद हेतु अनुमति के लिए भी इस फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है।

3। प्रत्यावर्तन लाभ के साथ शेयर/ डिबेंचर खरीदने के इच्छुक आवेदकों को उसी निर्दिष्ट शाखा के माध्यम से आरबीआई के उपरोक्त कार्यालय को आरपीआई फॉर्म में एक अलग आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

4. शेयरों एवं प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति (पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक न हो) को भारतीय मूल का माना जाएगा, यदि (i) उसके पास किसी समय भारतीय पासपोर्ट रहा हो या (ii) वह या उसके माता पिता में से कोई एक अथवा उसके दादा-दादी में से कोई भी भारतीय संविधान या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के अन्तर्गत भारत के नागरिक रहे हों। किसी भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति की पत्नी/पति (पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक न हो) को भी भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाता है।

पी आई एस अनुमति	एनआरई ☐ प्रत्यावर्तनीय	एनआरओ ☐ प्रत्यावर्तनीय

	प्रथम धारक	द्वितीय धारक	तृतीय धारक
1. आवेदक का विवरण (i) पूरा नाम (ii) विदेश का पता (iii) राष्ट्रीयता (iv) वर्तमान पासपोर्ट का विवरण क। पासपोर्ट सं। ख। जारी करने का स्थान तथा तारीख ग। जारीकर्ता घ। निवास का देश जैसा कि पासपोर्ट में वर्णित है। ड। जन्म का देश (v) यदि आवेदक भारत का नागरिक नहीं है तो 'भारतीय मूल' का दावा करने का आधार (कृपया अनुदेश 4 देखें) (vi) क्या स्थायी रूप से भारत से बाहर निवास है यदि नहीं तो कब से विदेश में रह रहे हैं? (vii) व्यवसाय (रोजगार, व्यवसाय, धंधा, आदि) (viii) अन्य संयुक्त खाता धारकों के साथ संबंध			
2. निधियों का स्रोत जिनसे खरीदे जाने वाले शेयरों/ डिबेंचरों के लिए भुगतान किया जाएगा (i) विदेश से विप्रेषण से (ii) भारत में अनिवासी बैंक खाते से a. खाते का प्रकार जैसे एनआरई/एनआरओ/एफसीएनआर खाता b. खाता संख्या c. बैंक शाखा का नाम जहां खाता है।			
3। क्या आवेदक के पास पहले से ही प्रत्यावर्तन लाभ के साथ/ के बिना भारतीय कंपनियों के कोई शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर हैं। यदि हैं तो कृपया ऐसे शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर की सम्पूर्ण सूची नाम तथा कंपनी का पता, धारित शेयरों /परिवर्तनीय डिबेंचरों की कुल संख्या और अंकित मूल्य संलग्न अनुबंध में दें।			

मैं/हम सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गए विवरण मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास के अनुसारसत्या एवं सही हैं तथा मैं/हम भारत का/के नागरिक/ भारतीय मूल का/के व्यक्ति हूँ/हैं।

मैं/हम एतद द्वारा सहमत हूँ/हैं तथा वचन देते हैं कि मैं/हम निवेश की गई पूंजी का कभी भी प्रत्यावर्तन नहीं लेंगे। यह वचन मेरे/हमारे वारिसों/ निष्पादकों/ उत्तराधिकारियों/ समनुदेशियों पर भी बाध्यकर होगा और वे इस तरह से मेरे/हमारे द्वारा निवेशित किसी भी पूंजी के प्रत्यावर्तन के लिए हकदार नहीं होंगे।

मैं/हम सहमत हूँ/हैं तथा यह सुनिश्चित करने का वचन देता/देती/देते हूँ/हैं कि किसी भी एक भारतीय कंपनी में इक्विटि/ अधिमान्य शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों जिन्हें प्रत्यावर्तन लाभ के साथ या के बिना स्टॉक एक्सचेंज(जों) के माध्यम से (उस कंपनी में पूर्व से ही इक्विटि/ अधिमान्य शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर धारित, यदि हो) खरीदने की अनुमति मिलती हो, की मेरी/हमारी कुल धारिता किसी भी समय उस कंपनी की चुकता इक्विटि पूंजी /चुकता अधिमान्य पूंजी/परिवर्तनीय डिबेंचरों की हरेक श्रृंखला के चुकता मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

स्थान: ____________________ दिनांक: ______________

पहले आवेदक के हस्ताक्षर	दूसरे आवेदक के हस्ताक्षर	तीसरे आवेदक के हस्ताक्षर

बैंक उपयोग के लिए (मूल शाखा द्वारा भरा जाए)

मैं/हम एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ/हैं कि आवेदक भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अनिवासी हो/हैं तथा वे हमारे वास्तविक ग्राहक हैं। हम यह भी सुनिश्चित करने का वचन देते हैं कि शेयर/डिबेंचर, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुरूप भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) के माध्यम से खरीदे जाएंगे और हम आवेदक(कों) की ओर से शेयर की खरीद के लिए अपनी अनुमति देते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों का पालन करेंगे।

दिनांक: ___________ ____

शाखा प्रमुख/एसओएम के हस्ताक्षर

नाम:____________________________________

पदनाम:_________________________________

बैंक की शाखा का नाम एवं पता:______________________________

पोर्टफोलियो निवेश योजना के लिए अनुसूचित प्रभार

निबंधन एवं शर्तें:

क्र.	विवरण	प्रभार (आईएनआर)
1	पीआईएस अनुमोदन जारी शुल्क	निल
2	वार्षिक खाता संपोषण शुल्क	1000
3	पीआईएस रिपोर्टिंग प्रभार खरीदी बिक्री	 100 प्रति सौदा दिनांक 100 प्रति सौदा दिनांक

1. प्रभार /सेवा स्तर में परिवर्तन बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार पर है।
2. खाता संपोषण शुल्क गैर-वापसीयोग्य है।
3. वार्षिक खाता संपोषण शुल्क वार्षिक रूप से शुरू में ही काट लिया जाएगा जबकि रिपोर्टिंग प्रभार प्रत्येक लेनदेन करने पर काटे जाएंगे।
4. सारे शुल्क निर्दिष्ट पीआईएस/सामान्य बचत खाते से काटे जाएंगे।
5. उपरोक्त शुल्क/प्रभारों पर सारे लागू कर लगेंगे।
6. उपरोक्त प्रभार डिमेट खाता प्रभारों, कारोबारी सौदे/लेन-देन करों, शुल्कों तथा/या प्रभारों के स्वतंत्र प्रभार हैं।

पहले आवेदक के हस्ताक्षर	दूसरे आवेदक के हस्ताक्षर	तीसरे आवेदक के हस्ताक्षर

मूल शाखा द्वारा भरा जाए

शाखा प्रमुख/एसओएम के द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरितः ____________________

नामः____________________

ईआईएनः____________________

नामांकन फॉर्म डीए 1

बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंकिंग विनियम अधिनियम,1949 की धारा 45 ज़ेडए और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन

में/हम ____________________ ____________________

जमाकर्ता(ओं) का नाम और पता जमाकर्ता(ओं) का नाम और पता

____________________ ____________________

____________________ ____________________

निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं जिसको मेरे/ हमारे/ अवयस्क की मृत्यु पर जमा राशि, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ____________________ शाखा द्वारा वापस किया जाए।

जमा राशि का स्वरूप	खाता संख्या	अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हैं

नामिती

नाम____________________

पत्राचार का पता____________________

____

शहर ____________________ राज्य ____________________ पिन कोडः____________________

देश ____________

जमाकर्ता के साथ संबंध (यदि कोई हो) ____________________ आयु (वर्ष)____________

जन्म तारीख (यदि नामिती/आवेदक अवयस्क हो)____/_____/_________

दिन माह वर्ष

***चूंकि इस तारीख को नामिती अवयस्क है। अतः मैं श्री/श्रीमति/कु. ____________________**

पत्राचार का पता____________________

को नामिती की अवयस्कता के दौरान मेरे /हमारे/ अवयस्क की मृत्यु होने पर नामिती की ओर से खाते में जमा राशि प्राप्त करने हेतु नियुक्त करते हैं।

(एक्स7,बाइ7,ज़ेड7) ____________________

***खाताधारक (कों) के हस्ताक्षर/ अंगूठे के निशान

साक्षी**

नाम :____________________ नाम :____________________

हस्ताक्षर*** ____________ हस्ताक्षर*** ____________

पता :____________________ पता :____________________

____________________ ____________________

स्थान :____________________ स्थान :____________________

दिनांकः____________ दिनांकः____________

*नामिती के वयस्क होने की स्थिति में काट दें। ** यदि जमाराशि अवयस्क के नाम पर हो, तो नामांकन अवयस्क की ओर से कार्य करने के लिए विधिसंगत रूप से पात्र व्यक्ति, द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। *** अंगूठे का निशान दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हो।

पंजीयन संख्या(बैंक द्वारा भरा जाए)

ग्राहक विवरण प्रारूप (वैयक्तिक / स्वनियोजित)

1	ग्राहक संख्या	
2	खाता संख्या	
3	नाम	
4	निवासीय स्थिति	निवासी अनिवासी
5	व्यवसाय	सेवा/सेवा निवृत/स्व नियोजित/ग्रहणी/अन्य कृपया उल्लेख करें___________________________
6	खाता खोलने का उद्देश्य	
7	यदि सेवा में हैं तो संगठन का नाम	
8	यदि स्वनियोजित हैं- कारोबार का स्वरूप जबसे कारोबार में हैं, वर्ष का उल्लेख करें	व्यापार विनिर्माण सेवा कृषि स्थापर सम्पदा अन्य कृपया उल्लेख करें___________________________
9	यदि स्वनियोजित पेशेवर हैं	सीए चिकित्सक वकील शेयर दलाल परामर्शदाता अन्य कृपया उल्लेख करें___________________________
10	आय के साधन	वेतन कारोबार कृषि अन्य, कृपया उल्लेख करें___________________________
11	वार्षिक आय (कृपया अद्यतन आयकर विवरणी/ फॉर्म16/वेतन पर्ची की प्रति संलग्न करें)	
12	लेन-देन विवरण जैसे कि एक माह/तिमाही/ 6 माह में खाते में होने वाले लेनदेन की राशि का मूल्य- नई फर्म के मामले में पिछली तिमाही के बिक्री कर विवरणी अथवा अनुमानित बिक्री ली जा सकती है।	
13	शाखा कार्यालयों /सम्बद्ध सहयोगी संस्थाओं के विवरण और उनके कारोबार की प्रकृति	
14	विदेशी सहयोग के विवरण, यदि कोई हैं	
15	निवास	स्वयं का लीज़ या अन्य कृपया निर्दिष्ट करें
16	ग्राहक के हस्ताक्षर	
		बैंक प्रयोग के लिए
17	लेवल	लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3
18	शाखा प्रमुख /एसओएम के हस्ताक्षर	

नोट: यदि आप संयुक्त खाता खोल रहे हों तो कृपया हरेक खाता धारक के प्रयोग के लिए अलग- अलग प्रिंट आउट लें।

(भाग बी)

ग्राहक खाता विवरण

(यह शीट निर्दिष्ट शाखा द्वारा रखी जाए)

नोट: कोई भी फील्ड न काटें। लागू न होने पर खाली छोड़ दें

☐ **एनआरई** ☐ **एनआरओ**

शेयर दलाल की जानकारी

दलाल का नाम____

पता____

एनएसई में सेबी पंजीकृत संख्या ___________________ बीएसई में सेबी पंजीकृत संख्या ________________

संपर्क व्यक्ति ___________________________ ई-मेल _________________________

टेली॰ ________________ फेक्स:_________________________ मोबाइल:______________________

डिपोजिटरी सहभागी की जानकारी

डीपी नाम _________________________ डीपी आईडी__________________________________

ग्राहक संख्या एनआरई________________________ ग्राहक संख्या एनआरओ ________________________

डीपी पता____

संपर्क व्यक्ति ___________________________ ई-मेल _________________________

टेली॰ ________________ फेक्स:_________________________ मोबाइल:______________________

ग- पीआईएस बैंक बचत खाते का विवरण
(पीआईएस खाते से जोड़ा जाए)

एनआरई बैंक बचत खाता संख्या ____

एनआरओ बैंक बचत खाता संख्या ____

ग्राहक संख्या _______________

पद संख्या ________________

पहले आवेदक के हस्ताक्षर	दूसरे आवेदक के हस्ताक्षर	तीसरे आवेदक के हस्ताक्षर
नाम __________________	नाम ___________________	नाम______________

नामित शाखा द्वारा भरा जाए

ग्राहक नाम____________________ शाखा ______________ पीआईएस फॉर्म ______________

पीआईएस फॉर्म ______________ पीआईएस फॉर्म ______________

आरबीआई अनुमोदन _____________________ आरबीआई अनुमोदन _____________________

अनुमोदन दिनांक ____________ अनुमोदन दिनांक ____________

अनुबंध I

प्रत्यावर्तनीय आधार पर एनआरई शेयर

(यह शीट नामित शाखा द्वारा रखी जाए)

ग्राहक नाम_______________ नोटः यदि यह अनुबंध आप पर लागू न हो तो कृपया निर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर करें एवं अनुबंध पर 'लागू नहीं' लिखें। किसी धारिता के मामले में कृपया सुनिश्चित करें कि सभी कॉलम अनिवार्यतः भरे जाएँ।

प्रत्यावर्तनीय आधार (एनआरई शेयर) पर प्राथमिक बाज़ार से अर्जित तथा डीमेट रूप में धारित शेयरों के लिए

क्र.	कंपनी का नाम	अर्जन की तारीख (तारीख /माह /वर्ष)	शेयरों की संख्या (अंकों में)	अंकित मूल्य (प्रति शेयर रु.)	अर्जित मूल्य (प्रति शेयर रु.)	कुल मूल्य रु.	अर्जन का ढंग आईपीओ/ स/स्पिलिट समामेलन/ क्करण

प्रथम धारक के हस्ताक्षर   द्वितीय धारक के हस्ताक्षर   तृतीय धारक के हस्ताक्षर

मूल शाखा द्वारा भरा जाए

शाखा प्रमुख/ एसओएम द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरितः_______________________________________

नामः_______________________________________ ईआईएन__________________________

अनुबंध II

अप्रत्यावर्तनीय आधार पर एनआरओ शेयर

(यह शीट नामित शाखा द्वारा रखी जाए)

ग्राहक नाम_______________ नोटः यदि यह अनुबंध आप पर लागू न हो तो कृपया निर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर करें एवं अनुबंध पर 'लागू नहीं' लिखें। किसी धारिता के मामले में कृपया सुनिश्चित करें कि सभी कॉलम अनिवार्यतः भरे जाएँ।

अप्रत्यावर्तनीय आधार (एनआरओ शेयर) पर प्राथमिक बाज़ार से अर्जित किए गए तथा डीमेट रूप में धारित शेयरों के लिए

क्र.	कंपनी का नाम	अर्जन की तारीख (तारीख /माह /वर्ष)	शेयरों की संख्या (अंकों में)	अंकित मूल्य (प्रति शेयर रु.)	अर्जित मूल्य (प्रति शेयर रु.)	कुल मूल्य रु.	अर्जन का ढंग आईपीओ/ बोनस/स्पिलिट समामेलन/ पृथक्करण

प्रथम धारक के हस्ताक्षर | द्वितीय धारक के हस्ताक्षर | तृतीय धारक के हस्ताक्षर

मूल शाखा द्वारा भरा जाए

शाखा प्रमुख/ एसओएम द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित:____

नाम:____ ईआईएन______________________________

अनुबंध III

निवासी प्रास्थिति के दौरान अर्जित शेयर

(यह शीट नामित शाखा द्वारा रखी जाए)

ग्राहक नाम_______________ नोट: यदि यह अनुबंध आप पर लागू न हो तो कृपया निर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर करें एवं अनुबंध पर 'लागू नहीं' लिखें। किसी धारिता के मामले में कृपया सुनिश्चित करें कि सभी कॉलम अनिवार्यतः भरे जाएँ।

एनआरआई द्वारा भारतीय निवासी के रूप में अर्जित/धारित तथा डीमेट रूप में धारित शेयरों के लिए							
क्र॰	कंपनी का नाम	अर्जन की तारीख (तारीख /माह /वर्ष)	शेयरों की संख्या (अंकों में मात्रा)	अंकित मूल्य (प्रति शेयर रु॰)	अर्जित मूल्य (प्रति शेयर रु॰)	कुल मूल्य रु॰	अर्जन का ढंग आईपीओ/ बोनस/स्पिलिट समामेलन/ पृथक्करण

प्रथम धारक के हस्ताक्षर | द्वितीय धारक के हस्ताक्षर | तृतीय धारक के हस्ताक्षर

मूल शाखा द्वारा भरा जाए

शाखा प्रमुख/ एसओएम द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित:____

नाम:____ ईआईएन______________________________

अनुबंध IV

एनआरई शेयरों का अंतरण

(यह शीट नामित शाखा द्वारा रखी जाए)

ग्राहक नाम_______________ नोट: यदि यह अनुबंध आप पर लागू न हो तो कृपया निर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर करें एवं अनुबंध पर 'लागू नहीं' लिखें। किसी धारिता के मामले में कृपया सुनिश्चित करें कि सभी कॉलम अनिवार्यतः भरे जाएँ।

अन्य बैंक से ग्राहक के पीआईएस खाते का अंतरण (प्राथमिक एवं अनुषंगी बाज़ार निवेश)							
क्र॰	शेयर (स्क्रिप) का नाम	लेन-देन प्राथमिक अथवा अनुषंगी बाज़ार से	खरीदी लेन देन की तारीख (तारीख /माह /वर्ष)	शेयरों की संख्या (अंकों में मात्रा)	अर्जित मूल्य (प्रति शेयर रु॰)	कुल मूल्य रु॰	क्या आरबीआई को सूचित किया गया? हाँ/ नहीं

प्रथम धारक के हस्ताक्षर   द्वितीय धारक के हस्ताक्षर   तृतीय धारक के हस्ताक्षर

मूल शाखा द्वारा भरा जाए

शाखा प्रमुख/ एसओएम द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित:____

नाम:____ ईआईएन_____________________________

अनुबंध V

एनआरओ शेयरों का अंतरण

(यह शीट नामित शाखा द्वारा रखी जाए)

ग्राहक नाम_______________ नोट: यदि यह अनुबंध आप पर लागू न हो तो कृपया निर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर करें एवं अनुबंध पर 'लागू नहीं' लिखें। किसी धारिता के मामले में कृपया सुनिश्चित करें कि सभी कॉलम अनिवार्यतः भरे जाएँ।

अन्य बैंक से ग्राहक के पीआईएस खाते का अंतरण (प्राथमिक एवं अनुषंगी बाज़ार निवेश)							
क्र॰	शेयर (स्क्रिप) का नाम	लेन-देन प्राथमिक अथवा अनुषंगी बाज़ार से	खरीदी लेन देन की तारीख (तारीख /माह /वर्ष)	शेयरों की संख्या (अंकों में मात्रा)	अर्जित मूल्य (प्रति शेयर रु॰)	कुल मूल्य रु॰	क्या आरबीआई को सूचित किया गया? हाँ/ नहीं

प्रथम धारक के हस्ताक्षर   द्वितीय धारक के हस्ताक्षर   तृतीय धारक के हस्ताक्षर

मूल शाखा द्वारा भरा जाए

शाखा प्रमुख/ एसओएम द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित:____

नाम:____ ईआईएन_____________________________

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, रजि॰ कार्यालय: आईडीबीआई टॉवर, डब्लुटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई- 400 005।
टॉल फ्री नं॰: 1800-22-1070 (एमटीएनएल/ बीएसएनएल) और 1800-200-1947 (अन्य)। www.idbi.com